।।कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर।।

क्रमांकः—व—12(4)आरपीए/जन/सी.बी. सामान क्रय /2024/ 2478 दिनांकः— 29.4.26

—:सीमित निविदा:—

संस्था स्थित सैन्ट्रल बैण्ड के कार्मिको की वर्दी व आरपीए बैण्ड के कार्मिको की वर्दी ड्राईक्लिन कार्य हेतु एक वर्षीय दर संविदा की जानी है। जिसका अनुमानित व्यय राशि—**1,50,000/—रूपये होगा**। जिसके लिए जीएसटी पंजीकृत अनुभवी फर्म/व्यक्ति से मोहरबन्द सीमित निविदाऐं दिनांक 29.04.2026 से दिनांक 05.05.2026 दोपहर 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है। उसका नाम लिफाफे पर अंकित करें।

क्र.सं.	विवरण		स्पेशिफिकेशन	तादाद	प्रति नग जीएसटी सहीत
1	संस्था स्थित सैन्ट्रल बैण्ड के कार्मिको की वर्दी व आरपीए बैण्ड के कार्मिको की वर्दी ड्राईक्लिन कार्य हेतु एक वर्षीय दर संविदा कार्य।	सैन्ट्रल बैण्ड के कार्मिको की वर्दी	ब्लू वर्दी, गर्म व ठंडी (कोट—पेंट)	50 नग	
			कॉनर्सट ड्रेस (शर्ट—पेट)	50 नग	
			कॉनर्सट ड्रेस ब्लेजर गर्म	50 नग	
		आरपीए बैण्ड के कार्मिको की वर्दी	लाल वर्दी गर्म (कोट—पेंट)	25 नग	
			ठंडी वर्दी सफेद (कोट—पेंट)	25 नग	

—:सीमित निविदा की शर्तें:—

1. सीमित निविदा में संलग्न सूची के अनुसार निर्धारित आईटम एवं निविदा संबधी अन्य जानकारी आर.पी.ए.जयपुर (सामान्य शाखा) से प्राप्त किया जा सकता है।
2. निविदायें मोहर बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से सेन्ट्रल बैण्ड कार्मिको की वर्दी ड्राईक्लिन आपूर्ति निविदा कार्य का नाम लिखा हो दिनांक 05.05.2026 प्रातः 11.15 बजे तक आरपीए, जयपुर (सहायक निदेशक प्रशासन/बिड बॉक्स) में जमा करायी जा सकती हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 05.05.2026 को दोपहर 12.00 पी.एम पर क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
3. निविदा के साथ GST पंजीयन प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
4. निविदा शर्ते जी.एफ.एण्ड ए.आर. रूल्स एण्ड आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार मान्य होगी।
5. क्रय समिति को किसी भी निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. निविदादाता की कोई अतिरिक्त शर्ते मान्य नही होगी।
7. जी.एस.टी. देय है अथवा नही का दरों में स्पष्ट उल्लेख करें।
8. दर अनुमोदित फर्म द्वारा कार्य आदेश के अनुसार निर्धारित समय पर सेन्ट्रल बैण्ड एवं आरपीए बैण्ड वर्दी ड्राईक्लिन कार्य किया जावेगा।
9. निर्धारित प्रारूप में दी गई दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्जेज देय नहीं होगा।
10. सफल बोलीदाता को बोली अधिस्वीकृति पत्र जारी होने के बाद अविलम्ब ही उपापन की लागत की 5 प्रतिशत की दर से कार्य—सम्पादन प्रतिभूति (MSME-1% , रूग्ण उद्योग—2%)राशि अनुसूचित बैंक

द्वारा जारी डी.डी./एफडीआर/बैंक गारण्टी (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम से देय हो) से जमा करना होगा एवं नियमानुसार 500 रूपये के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर स्वयं के व्यय पर अनुबंध कराना होगा।कार्य पूर्ण होने के बाद भुगतान होने के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबन्धकर्ता को लौटा दी जावेगी। इस पर कोई ब्याज देय नही होगा।

11. संतोषजनक आपूर्ति की स्थिति में बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने पर भुगतान किया जावेगा।

सहायक निदेशक (प्रशासन)
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपि :—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सहायक, निदेशक/अति0 निदेशक/उप निदेशक एवं प्राचार्य, आर.पी.ए., जयपुर।
2. लेखाधिकारी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
3. संचित निरीक्षक (क्वार्टर मास्टर/प्रशासन), आर.पी.ए., जयपुर।
4. प्रोग्रामर, आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा sppp पोर्टल (www.sppp.rajasthan.gov.in) एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें।
5. प्रभारी, सेन्ट्रल बैण्ड/आरपीए बैण्ड आरपीए जयपुर।
6. नोटिस बोर्ड, आर.पी.ए. जयपुर।

सहायक निदेशक (प्रशासन)
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।